संख्या: 6/2016/667/पैंतीस-2-2016-3/39(21)/2015

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 11 मई, 2016**

विषय- **जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0 का रख-रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 352/ले0-20/2017, दिनांक 27.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2016-17 में बजट व्यवस्था के सापेक्ष जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0 का रख-रखाव हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास योजनाओं की समीक्षा एवं सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान, जिला योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा स्थापित जनपदों में कम्प्यूटर का रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,60,00,000/- के सापेक्ष रू0 1,60,00,000/- (रू0 एक करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि संलग्नक-1 अनुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

3- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आबंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाया

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

7- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03- जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0" का रख-रखाव के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 6/2016/667(1)/पैतीस-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 6/2016/667/पैंतीस-2-2016-3/39(21)/2016, दि0 11 मई, 2016 का संलग्नक-1

अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक- 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0 का रख रखाव के अन्तर्गत -

मानक मद	**वर्ष 2015-16 में स्वीकृत धनराशि (हजार रू0 में)**
08-कार्यालय व्यय	3000
09-विधुत देय	3000
13-टेलीफोन पर व्यय	3000
29-अनुरक्षण	2000
42-अन्य व्यय	2000
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय	3000
योग	**16000**
	(रू0 एक करोड़ साठ लाख मात्र)

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।